HAMIRPUR POLICE

कोतवाली सदर | दिनांक 05.11.2022

प्रभावी पैरवी कर 01 अभियुक्त को 02 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलायी गयी।

जनपद पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, दिनाँक 19/07/2012 को कोतवाली सदर जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 616/12 धारा-21/22 एनडीपीएस एक्ट में नामजद अभियुक्त महेश उर्फ पंगा पुत्र बदलू खटीक निवासी खालेपुरा थाना कोतवाली सदर जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग मे आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायाधीश द्वारा धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट 02 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।